इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक- 08.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक किशोरी से छेड़छाड कने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 2,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक किशोरी से छेड़छाड करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 2,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.05.2018 को वादिनी द्वारा थाना सिविल लाइन पर अभियुक्त रवि सरदार पुत्र संतोष उर्फ भूरे के विरूद्ध वादिनी की पुत्री के साथ छेड़छाड कर अश्लील हरकते हुए मारपीट के संबंध में तहरीर दी, तहरीर के आधार पर **थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 208/2018 धारा 354,323,452 भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(1) SC/CT पंजीकृत किया गया था।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रवि सरदार पुत्र संतोष उर्फ भूरे निवासी काशीराम कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 मुलायम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 08.11.2023 को अन्तर्गत धारा 354,452,323, भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट) जनपद इटावा द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 2,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1.रवि सरदार पुत्र संतोष उर्फ भूरे निवासी काशीराम कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।